

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 35 /2020

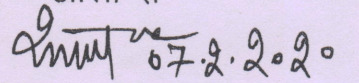
दिनांक : 07.02.2020

श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी (RJ0305), विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), कोटा को दिनांक 17.02.2020 से 19.03.2020 तक 32 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 16.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार मलिक (RJ0325), विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा को श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), कोटा के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. श्री प्रमोद कुमार मलिक (RJ0325), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), कोटा के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

 07.2.2020

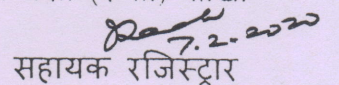
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/08/2000/ 914

दिनांक 07.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 194 दिनांक 15.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी (RJ0305), विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), कोटा ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), कोटा ।
5. श्री प्रमोद कुमार मलिक (RJ0325), विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

 07.2.2020
सहायक रजिस्ट्रार